



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252849
CG-DL-E-11032024-252849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945

No. 161]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

सं. 20/2024 -सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 173(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 01 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), जिसे भारत के राजपत्र में असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में दिनांक 01 अप्रैल 2023 के सा.का.नि. 261(अ), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खंड 2 में,

(क) उप-खंड (1) में मद (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 4R में अधिसूचित माल के निर्यात के लिए या विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित अग्रिम प्राधिकरण (मानद निर्यात को छोड़कर) के तहत माल के निर्यात के

लिए या निर्यात ओरिएंट यूनिट द्वारा निर्मित या निर्यात किए गए माल के निर्यात के रूप में उक्त परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित, संबंधित दर और सीमा पर परिशिष्ट 4R या परिशिष्ट 4RE के तहत अधिसूचित है, जो भी लागू हो:

बशर्ते कि योजना के तहत अनुमत शुल्क क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उक्त माल का घोषित निर्यात एफ.ओ.बी. मूल्य होगा या, उक्त माल के बाजार मूल्य का 1.5 गुना तक, जो भी कम हो”;

(ख) उपखंड (4) में, शब्दों “परिशिष्ट में अधिसूचित” के लिए शब्दों “उक्त परिशिष्ट 4R या परिशिष्ट 4RE में अधिसूचित, जैसा लागू हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) तालिका में, क्रम संख्या 6, 7, 8 और 10 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/14/2021-डीबीके]

कपिल प्रजापति, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना संख्या 24/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2024

No. 20/2024 –Customs (N.T.)

G.S.R. 173(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2023-Customs (N.T.), dated the 1st April, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 261(E), dated the 1st April 2023, namely:-

In the said notification,-

(i) in clause 2,

(a) in sub-clause (1), for item (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) against export of goods notified in Appendix 4R of the Foreign Trade Policy or against export of goods under Advance Authorisation (except Deemed Exports) as notified in Appendix 4RE of the Foreign Trade Policy or export of goods manufactured by or exported by Export Orient Unit as notified in the said Appendix 4RE, at the respective rate and cap notified under the Appendix 4R or Appendix 4RE, as applicable:

Provided that the value of the said goods for calculation of duty credit to be allowed under the Scheme shall be the declared export FOB value of the said goods or, up to 1.5 times the market price of the said goods, whichever is less;”

(b) in sub-clause (4), for the words “notified in the Appendix”, the words “notified in the said Appendix 4R or Appendix 4RE, as applicable” shall be substituted;

(ii) in the TABLE, Sl. No’s. 6, 7, 8 and 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. CBIC-140605/14/2021-DBK]

KAPIL PRAJAPATI, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 24/2023-Customs (N.T.), dated 1st April, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide G.S.R. 261(E), dated the 1st April, 2023.